

क्रमांक : F5.501(1433)/DoIT&C/2023/03760/2023

IGSY अति आवश्यक  
दिनांक : 26-07-2023

समस्त संभागीय आयुक्त,  
जिला कलक्टर,  
विशेषाधिकारी,  
समस्त जिले, राजस्थान

विषय : "इंदिरा गांधी स्मार्टफ़ोन योजना" के शिविरों हेतु दिशा-निर्देश

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है की माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2022-23 में चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को Smart Phone मय इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने हेतु "मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना" की घोषणा की गयी थी।

इस घोषणा का क्रियान्वयन "इंदिरा गांधी स्मार्टफ़ोन योजना" के नाम से किया जायेगा।

योजना अंतर्गत प्रथम चरण में लगभग 40 लाख महिला लाभार्थियों को स्मार्टफ़ोन एवं डाटा सिम का वितरण करने हेतु दिनांक 10-अगस्त-2023 से शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

इन शिविरों के सफल संचालन हेतु दिशा-निर्देश संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जा रहे हैं।



(आनन्दी)  
शासन सचिव

क्रमांक : F5.501(1433)/DoIT&C/2023/03760/2023

दिनांक : 26-07-2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त एवं सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग।
5. रक्षित पत्रावली।



आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

IGSY अति आवश्यक

**इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना (IGSY) के शिविरों के संबंध में दिशानिर्देश**

**A. इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का उद्देश्य**

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2022-23 में चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को Smart Phone मय इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने हेतु घोषणा की गयी थी।
2. इस योजना का नाम इंदिरा गाँधी स्मार्ट फोन योजना रखा गया है। प्रथम चरण में लगभग 40 लाख चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को एक मुफ्त DBT के माध्यम से योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत लाभार्थियों को दिये गये स्मार्टफोन की सहायता से दूर - दराज में पढ़ रही छात्राओं की सुरक्षा के साथ-साथ सरकार द्वारा वंचित और कमजोर वर्ग के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभ की जानकारी प्राप्त हो सकेगी। साथ ही राज्य सरकार द्वारा छात्राओं एवं विधवाएकल नारी के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाएं एवं रोजगार की जानकारी मिल सकेगी। यह योजना छात्राओं, विधवा/एकल नारी को सशक्त करने की एक अनूठी पहल है। इस योजना के द्वारा प्रदेश की माताओं, बहन-बेटियों को डिजिटल साक्षर किया जायेगा। जिससे वे सरकार की अन्य योजना का लाभ ले सके एवं अपने बैंकिंग के समस्त कार्य स्वयं कर सके।
3. योजना अंतर्गत TRAI द्वारा राजस्थान राज्य में अधिकृत TSP (Telecom Service Providers - Jio, Airtel, Vodafone and BSNL) के माध्यम से लाभार्थी को स्मार्ट फोन मय सिम, डाटा कनेक्टिविटी जिला एवं ब्लॉक स्तर के शिविरों में उपलब्ध करवाई जाएगी।

**B. लाभार्थी सूचना :**

1. प्रथम चरण के लाभार्थियों की पात्रता
  - a. सरकारी विद्यालयों में 9वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राएं
  - b. सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं (महाविद्यालय/ ITI/ Polytechnic) में अध्ययनरत छात्राओं
  - c. विधवा/एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं
  - d. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी तहत 100 कार्य दिवस (वर्ष 2022-2023) पूर्ण करने वाले परिवार की महिला मुखिया
  - e. इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 कार्य दिवस (वर्ष 2022-2023) पूर्ण करने वाले परिवार की महिला मुखिया
2. लाभार्थी की सूची DoIT&C द्वारा उपलब्ध करवायी जा रही है।
3. विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूची में किसी पात्र लाभार्थी का नाम नहीं होने की स्थिति में राजस्थान संपर्क 181 पर उनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाये।

**C. शिविर के पूर्व की गतिविधियाँ :**

1. जिला प्रशासन लाभार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए लगाये जाने वाले शिविरों की संख्या तथा स्थान का निर्णय करेंगे। शिविरों के स्थान का चयन लाभार्थी की संख्या, वर्षा ऋतु, मोबाइल सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, कानून व्यवस्था आदि को ध्यान में रखकर किया जाये।

IGSY अति आवश्यक

2. जिला प्रशासन लाभार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए लगाये जाने वाले शिविरों की संख्या तथा स्थान का चयन करें। शिविर के स्थान का चयन करते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखा जाये:
- इन्टरनेट कनेक्टिविटी की निर्बाध उपलब्धता
  - सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था
  - पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था
  - मानसून को देखते हुए पक्के भवन (बिना किसी जल रिसाव के)
  - शिविर में होने वाली गतिविधियों को देखते हुए पर्याप्त संख्या में कमरों की उपलब्धता
  - शिविर के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था

उक्त बिन्दुओं का ध्यान में रखते हुए ये शिविर जिला कलेक्टर, पंचायत समिति, नगर पालिका, राजकीय विद्यालय, महाविद्यालय व अन्य राजकीय कार्यालयों पर आयोजित किये जा सकते हैं।

- दिनांक 31 जुलाई तक लाभार्थियों की संख्या एवं लगाये जाने वाले शिविरों की संख्या को ध्यान में रखते हुए शिविरों का कलेण्डर IGSY Application पर इन्द्राज की जाये।
- शिविर में की जाने वाली अन्य व्यवस्थाओं यथा टेबल, कुर्सी, लेपटॉप, प्रिन्टर, स्कैनर, पंखे, कूलर, स्टेशनरी, पेयजल इत्यादि हेतु जिला कलेक्टर द्वारा RFP कर के निविदा प्रक्रिया 5 अगस्त तक पूर्ण कर ली जावे। इसके लिये सेम्पल RFP संदर्भ हेतु उपलब्ध करवायी जा रही हैं।
- जिला कलेक्टर अन्य सामग्री/सेवाओं के लिए आवश्यकतानुसार तथा उपलब्ध स्थानीय वेन्डर की क्षमता को देखते हुए एक से ज्यादा वेन्डर को कार्य प्रदान कर सकेंगे।
- जिला कलेक्टर इस योजना में जिला प्रभारी होंगे तथा जिला कलेक्टर द्वारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिले में प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। प्रत्येक शिविर हेतु जिला कलेक्टर द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों यथा उपखण्ड अधिकारी, ब्लॉक विकास अधिकारी इत्यादि को प्रभारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाये।
- प्रत्येक शिविर हेतु आवश्यकतानुसार 10 से 12 अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी शिविर व्यवस्था हेतु लगाई जावे। साथ ही प्रत्येक शिविर में उपलब्धता के अनुसार 5 से 6 राजीव गांधी युवा मित्रों की सेवायें भी ली जायें।
- IGSY शिविरों के सफल संचालन एवं समन्वयन के लिये एक जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाये। इस कन्ट्रोल रूम से संबंधित समस्त जानकारी यथा प्रभारी अधिकारी का नाम, पद एवं टेलीफोन नंबर इत्यादि DoIT&C व अन्य संबंधित विभागों को भिजवाया जाना सुनिश्चित करायें।
- विभाग द्वारा सभी TSP द्वारा जिलेवार अधिकृत प्रतिनिधियों की सूची 2 अगस्त तक उपलब्ध करवायी जायेगी। जिला प्रभारी इन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर तैयारियों के संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश देंगे। तथा स्थानीय स्तर पर उनको आवश्यक सुविधायें यथा सेन्ट्रल वेयरहाउस की सुरक्षा इत्यादि उपलब्ध करवायेंगे। जिला व पंचायत समिति स्तर पर एक एक शिविर से प्रारम्भ करते हुए आगामी दिवसों में TSP के प्रतिनिधियों से समन्वय कर शिविरों की संख्या का विस्तार किया जायेगा।
- शिविर आयोजन की दिनांक से 2 दिवस पूर्व शिविर के दौरान आने वाले लाभार्थियों की दिनांकवार सूची तैयार की जायेगी ताकि ई-संचार पोर्टल का उपयोग करते हुए जिला स्तर से इनको एसएमएस द्वारा



**IGSY अति आवश्यक**

सूचित किया जायेगा। इस हेतु विभाग द्वारा ई-संचार पोर्टल की जिलेवार यूजर आईडी व पासवर्ड साझा किया जायेगा। साथ ही जिला प्रशासन इन लाभार्थीओं को शिविर में उपस्थित होने हेतु पर्ची के माध्यम से आमंत्रित करना भी सुनिश्चित करें।

11. शिविर में आने से पूर्व लाभार्थी को निम्न दस्तावेज की मूल कॉपी लाने हेतु निर्देशित करें –
  - a. विद्यालय, महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक, आईटीआई के छात्राओं के लिए दस्तावेज:
    - जिन लाभार्थियों की उम्र 18 वर्ष से कम है उनके साथ परिवार के चिरंजीवी परिवार के मुखिया का आधार कार्ड एवं स्वयं चिरंजीवी परिवार मुखिया का उपस्थित होना अनिवार्य है।
    - 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत छात्राओं के विद्यालय का एवं महाविद्यालय, आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं के आईडी कार्ड एवं एनरोलमेंट नंबर का कार्ड
    - पेन कार्ड (यदि हो तो)
    - लाभार्थी का आधार कार्ड e-KYC के लिए
  - b. एकल/विधवा नारी के लिए आवश्यक दस्तावेज
12. इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शिविरों के लिए एक वेबसाइट भी तैयार की गई है। आमजन को कैम्प स्थलों की जानकारी भी इसके माध्यम से उपलब्ध हो सकेगी।
13. शिविर से सम्बंधित सभी तैयारियां 06 अगस्त 2023 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
14. प्रत्येक शिविर पर 07, 08 एवं 09 अगस्त 2023 को लाइव मॉकड्रिल का आयोजन किया जायेगा, जिसमें 10-10 लाभार्थियों को स्मार्टफोन का वितरण किया जायेगा।
  - a. एकल विधवा पेंशन प्राप्त कर रही महिला के पेंशन का पी पी ओ नंबर जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके की वह एकल विधवा है एवं पेंशन प्राप्त कर रही है।
    - पेन कार्ड (यदि हो तो)
    - लाभार्थी का आधार कार्ड
  - b. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी तहत 100 कार्य दिवस (वर्ष 2022-2023) पूर्ण करने वाले परिवार की महिला मुखिया के आवश्यक दस्तावेज
    - जन आधार कार्ड
    - लाभार्थी का आधार कार्ड
    - पेन कार्ड (यदि हो तो)
  - c. इन्दिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 50 कार्य दिवस (वर्ष 2022-2023) पूर्ण करने वाले परिवार की महिला मुखिया के आवश्यक दस्तावेज
    - जन आधार कार्ड
    - लाभार्थी का आधार कार्ड
    - पेन कार्ड (यदि हो तो)
15. अगर लाभार्थी 18 वर्ष से कम आयु की है तो eKYC SIM के लिए चिरंजीवी परिवार के मुखिया के नाम पर होगी तथा मोबाइल फोन भी चिरंजीवी परिवार के मुखिया के नाम पर होगा। इसके लिए चिरंजीवी परिवार के मुखिया को eKYC SIM के लिए आधार व मोबाइल फोन के लिए जनाधार लाना होगा।

**IGSY अति आवश्यक**

16. यदि कोई लाभार्थी अपनी समय-सीमा पर सम्बंधित ब्लॉक शिविर स्थल से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का लाभ नहीं ले पाता है तो उस स्थिति में वह जिला मुख्यालय आयोजित शिविर जाकर लाभ ले सकेगा।
17. इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शिविरों की सम्पूर्ण जानकारी टोल फ्री नंबर (181) पर भी उपलब्ध होगी।
18. लाभार्थी अपनी पात्रता की जाँच जनसूचना पोर्टल के माध्यम से ई-मित्र प्लस मशीन पर भी कर सकते हैं।
19. इन शिविरों हेतु डीआईपीआर द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप आईईसी एक्टिविटीज करवाया जाना सुनिश्चित करें।

**D. शिविर के दौरान की गतिविधि :-**

1. शिविर आयोजन स्थल पर उपलब्ध स्मार्टफोन इन्वेन्ट्री की सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबन्ध किये जायेंगे तथा लाभार्थियों के सुचारु आवागमन की व्यवस्था की जायेगी।
2. शिविर प्रभारी नियमित रूप से शिविर के दौरान उपस्थित रहना सुनिश्चित करेंगे तथा साथ ही जिला नोडल अधिकारी एवं विभाग के वरिष्ठ जिला अधिकारीओं द्वारा नियमित रूप से शिविरों का निरीक्षण किया जावे।
3. सभी लाभार्थियों को Smart Phone मय Connectivity के क्रय हेतु e-wallet/e-voucher में DBT के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा राशि स्थानान्तरित की जायेगी। e-wallet/e-voucher से Smart Phone मय Connectivity के क्रय हेतु लाभार्थी परिवार का जनाधार में पंजीकृत महिला मुखिया का मोबाइल नंबर को अपने साथ लाना सुनिश्चित करेंगे।
4. शिविर के दौरान Connectivity में दिये गये लेआउट के अनुसार जोन 1 से जोन 6 तैयार कर निम्न प्रकार मोबाइल मय सिम का वितरण किया जावेगा :

**a. जोन - 1**

- हेल्प डेस्क टीम द्वारा लाभार्थी के जन आधार कार्ड, जन आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की पहचान, आधार कार्ड, फोटो एवं अन्य e-KYC के लिये मान्य दस्तावेजों की पहचान की जायेगी
- लाभार्थी के फोन में जन आधार e-Wallet app डाउनलोड कर अन्य जानकारी देना।

**b. रजिस्ट्रेशन जोन - 2**

- IGSY Application द्वारा DoIT&C अधिकारी जोन 2 में हेल्पडेस्क पर उपस्थित रहकर लाभार्थी की पात्रता की पहचान कर जन आधार e-wallet KYC फॉर्म, TSP फॉर्म एवं फॉर्म-60 उपलब्ध करवायेंगे

**c. सिम जोन - 3**

- विभिन्न Telecom Service Provider के लिये है, जिसमें लाभार्थी द्वारा e-KYC के पश्चात अपनी पसंद की सिम एवं इंटरनेट डाटा प्लान दिया जायेगा
- e-KYC के लिये जिन लाभार्थियों की उम्र 18 वर्ष से अधिक है, वे स्वयं का आधार कार्ड तथा जिन लाभार्थियों की उम्र 18 वर्ष से कम है, वे चिरंजीवी परिवार के मुखिया के साथ आएंगे एवं चिरंजीवी परिवार की मुखिया स्वयं का आधार कार्ड लाना सुनिश्चित करें
- प्रत्येक TSP के लिए कम से कम 2 डेस्क व 5 कुर्सीयाँ प्रदान की जानी चाहिए

**IGSY अति आवश्यक**

**d. मोबाइल जोन – 4**

- लाभार्थी में अधिकृत मोबाइल डीलरों से अपनी पसंद का मोबाइल फोन क्रय कर सकेंगे। लाभार्थी किसी भी डीलर से कोई भी फोन खरीदने के लिए स्वतंत्र है
- अधिकृत मोबाइल डीलर के साथ-साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभार्थी के मोबाइल विवरण लेने के लिए कम से कम 6 डेस्क (टेबल) और 15 कुर्सियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

**e. DBT जोन – 5**

- DoIT&C अधिकारियों द्वारा की जाने वाली प्रक्रियारू
- लाभार्थी के e-Wallet KYC की प्रक्रिया करना. लाभार्थी द्वारा अपनी पसंद का SIM व इंटरनेट डाटा प्लान लेने बाद उसकी e-KYC होगी। e-KYC के पश्चात प्रत्येक लाभार्थी का राजकीय कर्मचारी द्वारा लैपटाप पर IGSY Application में उसका नया मोबाइल नंबर enter किया जायेगा।
- लाभार्थी द्वारा चुने गये मोबाइल एवं सिम की जानकारी IGSY Application में एंट्री करना
- e-Wallet के माध्यम से लाभार्थी को DBT करना
- DoIT&C अधिकारी लाभार्थियों के समस्त दस्तावेज दिनांक वार एकत्रित कर प्रतिदिन शिविर की समाप्ति के पश्चात, बंडल जिला प्रशासन को सुपुर्द करेंगे
- लाभार्थी द्वारा मोबाइल एवं डाटा सिम के लिए e-Wallet से भुगतान

**f. Digital Handholding Area जोन – 6**

- लाभार्थियों के लिये डिजिटल साक्षरता हेतु निम्न डिजिटल एक्टिविटी, प्रश्नोत्तरी प्रसंग एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जायेगा
- लाभार्थियों से इंटरैक्शन कर उनके मोबाइल में राज्य सरकार की एप्लीकेशन डाउनलोड करना
  - ✓ Jan Aadhaar Wallet 2-0
  - ✓ Jan Aadhaar App
  - ✓ E&Mitra App
  - ✓ Raj Sampark App
  - ✓ Jan Soochna App
- नुक्कड़ नाटक द्वारा राज्य सरकार की जन हितोपकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना
- प्रोत्साहन हेतु विजेताओं को टोकन पुरस्कार दिया जाना
- लाभार्थियों को डिजिटल साक्षरता हेतु "डिजिटल सखी बुकलेट" का वितरण किया जाना
- यह कार्य राजीव गाँधी युवा मित्र,स्टार्ट – अप तथा DoIT&C प्रतिनिधि के माध्यम से किया जायेगा

❖ उपरोक्त शिविर जोन प्लान indicative है उपलब्ध स्थान एवं व्यवस्था के अनुरूप जोन की interlinking स्थानीय स्तर पर की जा सकती है।

**E. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :**

1. शिविरों की समाप्ति के पश्चात जिला प्रशासन लाभार्थियों के e-KYC से सम्बन्धित सभी दस्तावेज (जो की जोन 5 में अपलोड किये गये हैं का शिविर वार, जिले वार एवं शिविर दिनांक वार सेट बनवाकर) DoIT&C मुख्यालय (जनआधार ई-वॉलेट टीम) को सुपुर्द करेंगे।
2. विभाग द्वारा राज्य स्तर पर कोर टीम एवं जिला स्तर हेतु अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जिसके कार्यादेश आपको प्रेषित किये जा रहे हैं। जिला स्तर द्वारा संबंधित अधिकारी से समन्वय कर शिविरों का सुचारु संचालन करेंगे।